झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

सूचना

राज्यान्तर्गत संचालित केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल कार्यान्वयन निमित्त राज्य स्तर पर राज्य योजना समन्वयक एवं राज्य योजना सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक, आवेदन ऑनलाईन JAP-IT के वेबसाईट **http://recruitment.jharkhand.gov.in/** से Download कर भरेंगे। साथ ही पदों के अनुरुप मांगे गए सभी Documents को भी आवेदन के साथ Scan कर उपर्युक्त वर्णित JAP-IT के वेबसाईट पर समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

2. संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पदों की विवरणी –

क्रम सं0	पद का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*
1.	राज्य योजना समन्वयक	अनारक्षित	01
2.	राज्य योजना सहायक	अनारक्षित	01

3. कंडिका–02 में वर्णित पदों का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएँ –

क्रम सं0	पद का नाम	नियत वेतन, मासिक (प्रति पद)	योग्यता/अनुभव
1.	राज्य योजना समन्वयक	45,000.00	**शैक्षणिक योग्यता–** स्नातकोत्तर (सामाजिक विज्ञान/ जीवन विज्ञान/ पोषण/औषध/ स्वास्थ्य प्रबंधन/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता) **अन्य योग्यताएँ–** i सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। ii MS-Office के प्रयोग में दक्षता। iii अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता
2.	राज्य योजना सहायक	25,000.00	**शैक्षणिक योग्यता–** स्नातक (सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन/सांख्यिकी को अधिमानता) **अन्य योग्यताएँ–** i सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। ii MS-Office के प्रयोग में दक्ष, अंग्रेजी टंकण मुें 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। iii अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता।

4. आयु सीमा – उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा –

(क) आयु की गणना हेतु तिथि – 01.08.2019

(ख) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रावधानित नियमों के आलोक में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी –

कोटि	**न्यूनतम आयु (वर्ष में)**	**अधिकतम आयु (वर्ष में)**	**दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु**
अनारक्षित	25 वर्ष	35 वर्ष	45 वर्ष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग		37 वर्ष	47 वर्ष
महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग)		38 वर्ष	48 वर्ष
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)		40 वर्ष	50 वर्ष

5. सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई (अनुबंध पर) होंगे। इन पदों के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थायीकारण का दावा अमान्य होगा एवं योजना की समाप्ति के साथ सभी पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

6. <u>(क) संविदा पर नियुक्ति की शर्तें –</u>

(i) संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर सेवा हेतु कार्यरत कर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त पदों पर कार्यरत किसी भी कर्मी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मी का अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(iii) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों का किसी भी परिस्थिति में स्थाई नियोजन नहीं होगा। इन स्वीकृत पदों पर कर्मियों को नियत वेतन के विरूद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।

(iv) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्त्तो एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है।

(v) संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

<u>(ख) संविदा पर नियुक्ति की प्रकिया –</u>

(i) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है।

(ii) उपर्युक्त पदों के लिए निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(iii) उक्त पदों के प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड होंगे।

(iv) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया

जायेगा। उक्त अवधि के अंदर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) प्रत्येक स्तर पर यथा– प्रांरभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित कर्मियों के नाम सूचना पटल, स्थानीय समाचार पत्र एवं निदेशालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(vi) एक से अधिक पदों की अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन करने होंगें।

(ग) चयन का मापदण्ड –

(i) वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने कंडिका– 3 में उल्लेखित संबंधित पदों के सभी शैक्षणिक योग्यता यथा– मैट्रिक, इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक मान्यता प्राप्त संस्थान प्राप्त किया हो।

(ii) प्रारंभिक मेधा सूची तैयार करने निमित्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक पत्र के आधार पर उन्हें निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेगें –

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मापदण्ड का प्रतिशतता				
			मैट्रिक	इन्टर	स्नातक	स्नातकोतर	कुल प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य योजना समन्वयक	स्नातकोत्तर	20	20	30	30	100
2.	राज्य योजना सहायक	स्नातक	30	30	40	–	100

उदाहरण– उपरोक्त सभी पदों के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायगी –

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	65	20%	13.00
इन्टर	1000	550	55.5	20%	11.10
स्नातक	1000	585	58.5	30%	17.55
स्नातकोतर	1000	610	61	30%	18.30
कुल					**59.95**

उक्त आधार पर प्रत्येक पद के लिए प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(iii) कंडिका–3 में पद के अनुरुप शैक्षणिक योग्यता में चिन्हित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर होने पर पाँच (5) अंको की अधिमानता दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक पद की रिक्ति के अनुरुप पाँच गुणा अभ्यार्थियों का चयन शीर्ष प्रारम्भिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।

(v) राज्य योजना समन्वयक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर पाँच गुणा अभ्यर्थियों से कम्प्युटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(vi) राज्य स्तरीय योजना सहायक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर पाँच गुणा अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर MS Office के प्रयोग की दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग मे क्रमशः 25 एवं 35 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(vii) कम्प्यूटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता हेतु ली जाने वाली जाँच परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा। यह पूर्णतः Qualifying प्रकृति के होंगे।

(viii) कम्प्युटर पर MS Office एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अन्तिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ix) पदवार तैयार की गई अंतिम मेधा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदक को नियुक्त किया जाएगा एवं शेष आवेदक, प्रतीक्षा सूची में माने जाएंगे। इस प्रतीक्षा सूची की वैधता अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से 01 (एक) वर्ष की होगी।

(x) नियुक्ति उपरांत, रिक्ति के स्थिति में प्रतीक्षा सूची से मेधा क्रम के अनुसार रिक्त पद को भरा जाएंगा।

(घ) आवेदन की प्रक्रिया –

(i) इच्छुक उम्मीदवार आवेदन ऑनलाईन JAP-IT के वेबसाईट **http://recruitment.jharkhand.gov.in/** से Download करेंगे। Download किये गए आवेदन को भर कर Scan करने के उपरांत, Scan किये गए आवेदन को एवं निम्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को **http://recruitment.jharkhand.gov.in/** पर Upload करेंगे –

a. मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
b. इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
c. स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
d. स्नातकोतर अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
e. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण–पत्र।
f. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण–पत्र। (आयु में छूट के लिए)
g. अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र।
h. कम्प्यूटर दक्षता हेतु प्रमाण–पत्र।
i. हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता प्रमाण–पत्र (मात्र योजना सहायक के लिए)।

(ङ) अन्यान्य :–

नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के वेबसाईट, **http://recruitment.jharkhand.gov.in/**, कार्यालय के सूचना पट्ट एवं प्रमुख समाचार पत्र पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

1. पद का नाम..
2. आवेदक का नाम..
3. लिंग...
4. पिता/पति का नाम..
5. माता का नाम..
6. जन्म तिथि..
7. दिनांक–01.08.2019 को उम्र .... वर्ष .... माह...... दिन
8. पहचान चिन्ह..
9. स्थायी पता...
   ....
10. पत्राचार का पता...
   ....
11. मोबाईल नं0–.. ई–मेल आई0डी0–..

पासपोर्ट साईज

12. (क) शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं)	अंक पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)
मैट्रिक							
इन्टर							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							

(ख) स्नातक का विषय......................................

(ग) स्नातकोत्तर का विषय................................(यदि लागू हो तो)

(घ) अन्य योग्यता :– i अनुभव प्रमाण पत्र :- ....(संलग्न करे)
ii Computer में दक्षता प्रमाण पत्र :–... (संलग्न करे)
iii अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता (स्थानीय भाषा का उल्लेख करें) :–.....................
....
iv हिन्दी/अंग्रजी टंकण दक्षता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) –. .... (प्रमाण पत्र संलग्न करे)

13. कोटि– (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) .... (पत्रांक .... दिनांक...........................) (प्रमाण पत्र संलग्न करे)

14. स्थानीयता प्रमाण पत्र– हाँ/नहीं (पत्रांक.......................................दिनांक...........................) (संलग्न करे)

तिथि ....

स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाना में कोई काण्ड दर्ज नही है एवं न ही किसी फौजदारी के मामले में मैं दण्डित हूँ।

उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है, किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर